उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

आर0एम0आर0 सं0– 09/2014–15

प्रवर्त्तक संघ, चंदन नगर, हुगली ..... आवेदक

बनाम

प्राचार्य, ए.एन. कॉलेज, दुमका ..... विपक्षी

।। आदेश ।।

24/04/2016 यह रे0मि0 रिविजन वाद सं0 09/2014–15 प्रवर्त्तक संघ, चंदन नगर, हुगली (पं. बंगाल), शाखा कार्यालय, नेतरपहाड़ी, दुमका बनाम् प्राचार्य, ए.एन. कॉलेज, दुमका के बीच अनुमंडल पदाधिकारी दुमका के एस.आर. वाद सं0 16/1998–99 में पारित आदेश दिनांक 08.1.1999 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों एवं निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा नेतरपहाड़ी, अंचल दुमका के खाता सं0 38 के दाग सं0 15, 16 एवं 17 के कुल रकवा 19 बीघा, 02 कठ्ठा 07 धूर जमींन गत सर्वे खतियान में किस्म खास बसौड़ी दर्ज रहने के कारण तथा अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा कुलपति यानि बिहार राज्यपाल के माध्यम से प्राचार्य, ए.एन. कॉलेज, दुमका के पदनाम से बन्दोबस्त किया गया है। इसी आदेश के विरूद्ध में यह रिविजन वाद दायर किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत जमींन प्रवर्त्तन संघ ने पूर्व जमींनदार से निबंधित दालील सं0 312 दिनांक 08.06.1945 द्वारा क्रय किया गया है। जमींन खास बसौड़ी है। अतः निम्न न्यायालय को विपक्षी के साथ बन्दोबस्ती नहीं कर सकते है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत नहीं है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित किया जाय।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उन्हें वर्ष 1999 में उक्त जमींन की बन्दोबस्ती मिली है एवं वर्ष 1999 से विपक्षी का दखल कब्जा है। इसपर कॉलेज भवन, क्लास रूम, कॉमन रूम, कार्यालय कक्ष, प्राचार्य कक्ष, शिक्षक कक्ष, प्रयोगशाला कक्ष आदि बना हुआ है तथा लगान का भुगतान किया जा रहा है। प्रश्नगत दाग जमींन खतियान में बाड़ी II के श्रेणी में दर्ज है। आवेदक द्वारा बन्दोबस्ती 16 वर्षो के बाद उक्त जमींन का दावा किया जा रहा है। इसका दावा का भी समय–सीमा (Limitation apply) के अन्तर्गत होना चाहिए। प्रश्नगत जमींन सरकार द्वारा बन्दोबस्ती किया गया है। जिन्हें पूर्ण अधिकार है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश सही है।

16/–रैयतों की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कहा गया कि प्रश्नगत जमींन खास जमींन है। कॉलेज को गलत तरीके से बन्दोबस्ती दी गई है। पहले सरकार को जमींन का अधिग्रहण करना चाहिए और फिर कॉलेज को दिया जाना चाहिए।

निम्न न्यायालय के अभिलेख में अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि प्रश्नगत जमींन खास बसौड़ी है। यह खास महल की भूमि है। उनके द्वारा नियमानुसार शैक्षणिक संस्था को प्रस्तावित जमींन बन्दोबस्ती करने का अनुशंसा किया गया है। इसी आधार पर कॉलेज के साथ बन्दोबस्त किया गया है। इसके विरूद्ध 16/– रैयतों द्वारा इस न्यायालय में रे0मि0 अपील वाद सं0 06/2000–01 दायर किया गया था, इस वाद को अपीलकर्त्ता द्वारा वाद को वापस लिया गया।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत जमींन खास बसौड़ी बोलकर दर्ज है। अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आधार पर कुलपति बिहार राज्यपाल के माध्यम से प्राचार्य, ए.एन. कॉलेज के साथ बन्दोबस्ती किया गया है। बन्दोबस्ती के पश्चात कॉलेज भवन, क्लास रूम, कॉमन रूम, कार्यालय कक्ष, प्राचार्य कक्ष, शिक्षक कक्ष, प्रयोगशाला कक्ष आदि का निर्माण किया गया है। आवेदक का दावा है कि प्रश्नगत जमींन वर्ष 1945 को प्रवर्त्तक संघ के अध्यक्ष के नाम से भूतपूर्व जमींनदार से निबंधित डीड द्वारा क्रय किया गया है। किन्तु इनके द्वारा न तो उक्त जमींन का नामान्तरण (Mutation) कराया गया है और न ही लगान का भुगतान किया जा रहा है और न तो प्रश्नगत जमींन पर दखल कब्जा है। चुँकि यह मामला काफी पुराना है एवं आवेदक द्वारा 70 वर्षो के बाद उक्त जमींन पर दावा किया जा रहा है। साथ ही प्रश्नगत जमींन कुलपति यानि बिहार राज्यपाल के माध्यम से प्राचार्य, ए.एन. कॉलेज, दुमका के पदनाम से बन्दोबस्ती किया गया है। ऐसी स्थिति में इस पर किसी प्रकार का आदेश पारित करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

Rahul
उपायुक्त
दुमका।

Rahul
उपायुक्त
दुमका।